SUB:- TAMPERING OF THE WILL & SALE(REGD. WILL)

II- 8501
17/12/24
SO/1245
NA

To,
THE SSP DEHRADUN



Respected Sir,

I am Sumit Kainthola a resident of Vadodara, Gujarat and native of Uttrakhand. My Mamaji Shri Dinesh Mohan Ghildiyal was a Scientist working with DEAL Dehradun (DRDO) and he expired on 2015, he was unmarried. I did all his funeral and other rituals at Haridwar and my maternal Village Khola near Srinagar, Pauri Garhwal.

My Mausi was living with him who too was single and bedridden due to Paralysis and she expired on 01-05-24. My Mamaji has 2 more step sisters who are married and live in Noida and Bhatinda and used to visit him on vacation.

He made a will on 27-07-2014 in which he mentioned that the house will be transferred to myself (Sumit Kainthola) after Mausi expires, This I came to know from one of the witness of the Will. **The Will made by Mamaji was on 24-07-14, Bahi No. 3, Jild No. 24, Page no. 329-336 , No. -145 , address- 6 Kanan Kunj Society,Sahastradhara Road, Dehradun.**

I got the will copy from the Registry office through affidavit done on 12-12-24 and was surprised to see my name missing from it. There has been tampering done in this , my suspicion is based on the following reasons –

1. The revelation by one of the witness that Will was only in my favour after demise of Mausi. I am the son of his real sister who was elder to all of them.
2. Mamaji expired in 2015 and had he Willed it to Mausi and family they would have revealed it in these 9 years. All kept mum all these years. Moreover I had very good relation with Mamaji.
3. The said property was sold on 14-11-24 by my 2 Mausi and Mausaji by giving power of Attorney to house maid , which strengthens the suspicion that they have tampered with the will and to be on safe side took this extreme step. Before selling this house they did not inform any family member nor the Society where all Mamajis neighbours and acquaintances lived.

To, The Commanding Officer, Raipur , Police station, Dehradun (02-05-25)

Respected Sir,

A renowned Scientist of DEAL, DRDO, Dehradun, unmarried and expired in 2015, his house has been sold fraudulently by step sisters 5 months back. They have got the Original Will replaced with the help of someone from the Registry Dept.and have given Power of Attorney to the House maid to sell the house.

He had 3 step sisters (2married and 1 unmarried and expired last year) and one real sister , who was my mother.

I approached various authorities to get this investigate - SDM, DM, SIT, SSP office , CM office so far. I request you to kindly get this investigated as this type of things happened very much recently (Virmani case) .

One of the witness of this had informed me that the will was in my favour. Another witness says that he did not see the content of the Will. Witness details –

(1)Bhagwan Prasad Ghildiyalji, Retired from Treasury Dept.
(2) Sanjay Kaushik, Retired Scientist from DEAL -M – 7895461006
House Maid - Barkha Parvanda, Mobile - 9064093113

I request you to kindly get this investigated in the interest of truth and justice.
Attaching the following documents -

(1) Replaced and forged Will
(2) SIster's willl where she is shown as wife of Mamaji (page no. 4, sr.no. 2 & 3)
(3) Power of Attorney given to the house maid

HIs house is getting demolished(Photo attached) and i request you to kindly stop this demolition and get this thoroughly investigated. There are enough circumstantial evidence which points towards a fraud being committed, Society neighbours can vouch for this.
House details – Address – Dinesh Mohan Ghildiyal
6, Kanan Kunj Society
Sahastradhara Road,
Dehradun

OLD KHASRA NO - 219/1 , NEW KHASRA NO. 282

thanking you,

with regards,
Sumit.J.Kainthola

Mobile No. - 9898254941

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/थानाध्यक्ष थाना रायपुर जनपद - देहरादून

पत्राँकः- लो0सू0पु0 - 2071/2024-25

दिनाँक - फरवरी, 8.,... 2025

सेवा में,

श्री सुमित कैन्थोला
नि0 – 403 – पोलो व्यू अपार्टमेंट विपरीत पोलोग्राउण्ड
राजमहल रोड वडोदरा
पिन कोड – 390001
मो0न0 - 9898254941

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसमें आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध अवगत कराना है कि आपके द्वारा SSP ऑफिस देहरादून में भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर की गयी जाँच रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपी संलग्न है।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर निम्न पते पर अपील दायर कर सकते है।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/
क्षेत्राधिकारी डोईवाला देहरादून।
(मो0न0 9411112017)

08-02-25

(प्रदीप नेगी)
थानाध्यक्ष/लोक सूचना अधिकारी
थाना रायपुर देहरादून
मो0न0 9411112823

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद देहरादून।

विषय - प्रार्थना पत्र शिकायत प्रकोष्ठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजि0 क्र0 II 6703 दिनाँक- 18.07.2024 ओ0बी0 नम्बर 264/2024 दिनाँक - 08.09./2024 थाना रायपुर जनपद देहरादून मे जाँच आख्या विषयक।

शिकायतकर्ता - श्रीसुमित जे कैन्थोला मो0नं0-9898254941

विपक्षी - कुसुमलता घिल्डयाल आदि।

जाँच का विवरण - महोदय निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ उपनीरीक्षक द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाये गये है कि मैं सुमित कैंथोला हूँ और वडोदरा, गुजरात का निवासी हूँ तथा उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। मेरे मामाजी श्री दिनेश मोहन घिल्डियाल डीईएएल देहरादून (डीआरडीओ) में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे तथा 2015 में उनका निधन हो गया, वे अविवाहित थे। मैंने उनका अंतिम संस्कार तथा अन्य सभी अनुष्ठान हरिद्वार तथा मेरे ननिहाल के गाँव खोला, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में किए।मेरी मौसी उनके साथ रहती थीं, जो कि अकेली थीं और लकवाग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर थीं और 01-05-24 को उनका निधन हो गया। मेरे मामाजी की 2 और सौतेली बहनें हैं जो शादीशुदा हैं और नोएडा और भटिंडा में रहती हैं और छुट्टियों में उनसे मिलने आती थीं।उन्होंने 27-07-2014 को एक वसीयत बनाई जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि मौसी के निधन के बाद घर मेरे (सुमित कैंथोला) नाम पर स्थानांतरित हो जाएगा, यह मुझे वसीयत के एक गवाह से पता चला। मामाजी द्वारा बनाई गई वसीयत 24-07-14 को बही नंबर 3, जिल्द नंबर 24, पेज नंबर 329-336, नंबर-145, पता- 6 कानन कुंज सोसायटी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून थी। मैंने 12-12-24 को शपथ पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री कार्यालय से वसीयत की प्रति प्राप्त की और उसमें अपना नाम गायब देखकर आश्चर्यचकित हुआ। इसमें छेड़छाड़ की गई है, मेरा संदेह निम्नलिखित कारणों पर आधारित है-1. एक गवाह द्वारा यह खुलासा कि मौसी के निधन के बाद वसीयत केवल मेरे पक्ष में थी। मैं उनकी सगी बहन का बेटा हूँ जो उन सभी से बड़ी थी। 2. मामाजी का निधन 2015 में हो गया था और अगर उन्होंने मौसी और परिवार को वसीयत में यह बताया होता तो वे इन 9 सालों में इस बारे में बता देते। इन सभी सालों में सभी चुप रहे। इसके अलावा मामाजी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे।3. उक्त संपत्ति 14-11-24 को मेरे 2 मौसी और मौसा जी द्वारा घर की नौकरानी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर बेची गई थी, जिससे यह संदेह मजबूत होता है कि उन्होंने वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है और सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। इस घर को बेचने से पहले उन्होंने न तो किसी परिवार के सदस्य को और न ही सोसायटी को सूचित किया, जहाँ मामाजी के सभी पड़ोसी और परिचित रहते थे। मैं पंजीकरण पत्र और हस्तांतरण पत्र प्राप्त कर रहा हूँ ताकि देख सकूं कि उन्होंने और क्या किया है, क्योंकि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में समय लगेगा, इसलिए मैंने आगे की जांच के लिए इसे आपके संज्ञान में लाना उचित समझा।

महोदय, प्रकरण सम्पति विवाद से सम्बन्धित है। शिकायतकर्ता को शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में दस्तावेजो के अवलोकन से दिनेश मोहन घिल्डियाल पुत्र श्री स्व0

रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल निवासी 6 कानन कुंज सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून द्वारा बही नंबर 3, जिल्द नंबर 24, पेज नंबर 329-336,दिनाँक 24.07.2014 को श्रीमति कुसुमलता घिल्डियाल पुत्री स्व0 रामेश्वर प्रसाद घिल्डियाल निवासी 6 कानन कुंज सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून के पक्ष में सम्पति को किया गया है। अपने पक्ष के कि उपरोक्त सम्पति से सम्बन्धित दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि उपरोक्त सम्पति शिकायतकर्ता की है उपलब्ध करायें शिकायतकर्ता द्वारा अपने पक्ष के दस्तावेज जाँच के क्रम में आतिथि तक उपलब्ध नही कराये गये है मात्र मौखिक रूप से सम्पति पर अपना अधिकार होना अवगत कराया जा रहा है।

महोदय प्रकरण सम्पति विवाद से सम्बन्धित है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपने पक्ष के कि उपरोक्त सम्पति से सम्बन्धित दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि उपरोक्त सम्पति शिकायतकर्ता की है जाँच के क्रम में उपलब्ध नही कराये गये है मात्र मौखिक रूप से सम्पति पर अपना अधिकार होना अवगत कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर वर्तमान मे दस्तावेजो के आभाव मे कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने की कृपा की जाय।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

दिनाँक- 28.12.2024

संलग्नक-

1- प्रार्थना पत्र मय संलग्नक- 08 वर्क।

2- रिपोर्ट - 02 वर्क।

उपनिरीक्षक
रविन्द्र सिंह जंगी
थाना रायपुर जनपद देहरादून।

अपील संख्या- 03/2025

अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1)

श्री सुमित कैंथोला निवासी- 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड , राजमहल रोड , बड़ोदरा पिन कोड -390001 , गुजरात

बनाम

लोक सूचना अधिकारी / उपनिबन्धक (मुख्यालय) ,कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून

नोटिस

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता श्री सुमित कैंथोला निवासी- 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड , राजमहल रोड, बड़ोदरा के द्वारा योजित अपील इस कार्यालय को दिनांक 05.03.2025 को प्राप्त हुई थी। अपीलकर्त्ता की अपील स्वीकार करते हुये अपील के निस्तारण हेतु दिनांक 02.04.2025 की तिथि नियत की गयी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से उभयपक्षों को सूचित किया जाता है कि नियत दिनांक 02.04.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समस्त अभिलेख सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन /
विभागीय अपीलीय अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन , उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या - ६७५ . / म0नि0नि0 /2024-25 दिनांक 12 मार्च 2025

प्रतिलिपि : 1- लोक सूचना अधिकारी / उपनिबन्धक मुख्यालय , देहरादून को, अपीलकर्त्ता द्वारा योजित अपील की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली व प्रति उत्तर सहित निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

2- श्री सुमित कैंथोला निवासी 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड, राजमहल रोड , बड़ोदरा सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 02.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय *में नियत समय पर* उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन।
विभागीय अपीलीय अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून
अपीलीय अधिकारी,
मुख्यालय, देहरादून।

लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं0- 6 के समीप)

पत्रांक : 14 /म0नि0नि0/ सू0अ0 /2024-25 दिनांक 19 अप्रैल 2025

सेवा में ,

श्री सुमित कैंथोला,
निवासी-403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट,
अपोजिट पोलोग्राउन्ड , राजमहल रोड,
बड़ोदरा , गुजरात पिन कोड -390001

विषयः- **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अ. .लाईन अनुरोध पत्र दिनांक 27.03.2025 जो इस कार्यालय को उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-5 संख्या 67/ XX-5/ 25-07(03) /2025 दिनांक 28 मार्च 2025 के क्रम में स्थानान्तरित होकर इस कार्यालय को दिनांक 03.04.2025 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में आपके द्वारा वांछित सूचना के अन्तर्गत श्री दिनेश मोहन द्वारा निष्पादित वसीयत की जाँच के विषय में अनुरोध करते हुये पंजीकृत वसीयत की स्कैन्ड प्रति को सेव किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। पूर्व में आपके द्वारा विलेखों की स्कैनिंग व स्कैन्ड विलेखों की सेफ्टी मैकेनिज्म के सम्बन्ध में कार्यालय को आनलाईन सूचना अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र 608/ म0नि0नि0 /सू0अ0/2024-25 दिनांक 17 मार्च 2025 के द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि विभाग में स्कैन्ड विलेखों की सुरक्षा NIC (National Informatics Centre) द्वारा प्रदत्त टेक्निकल सपोर्ट व मार्गदर्शन के द्वारा विभागीय तकनीकी टीम के द्वारा सम्पन्न की जाती है। साथ ही समय-समय पर अद्यतन तकनीकी नवाचार को अपनाकर डाटा सुरक्षा को अद्यतन किया जाता है। इसी प्रकरण से सम्बन्धित विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष आपके द्वारा योजित अपील संख्या 03/2025 **"श्री सुमित कैन्थोला बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय देहरादून"** में पारित आदेश में आपको सूचित किया गया था कि कथित वसीयत की फोरेंसिक जाँच की माँग करना सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से वाह्य है। तदानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार आपको सूचना प्रेषित की जा रही है। सूचना से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में आप प्राप्त सूचना के विरुद्ध विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता नीचे दिया गया है , से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर अपील कर सकते हैं।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता

श्री अतुल कुमार शर्मा
प्रथम अपीलीय अधिकारी /
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय
कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड ,
मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर , देहरादून।

भवदीय

(रामदत्त मिश्र)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून
लोक सूचना अधिकारी/उप निबंधक
मुख्यालय, देहरादून

अपील संख्या- 03/2025

अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1)

श्री सुमित कैंथोला निवासी- 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड , राजमहल रोड , बड़ोदरा पिन कोड -390001 , गुजरात

बनाम

लोक सूचना अधिकारी / उपनिबन्धक (मुख्यालय) ,कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून

नोटिस

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता श्री सुमित कैंथोला निवासी- 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड , राजमहल रोड, बड़ोदरा के द्वारा योजित अपील इस कार्यालय को दिनांक 05.03.2025 को प्राप्त हुई थी। अपीलकर्त्ता की अपील स्वीकार करते हुये अपील के निस्तारण हेतु दिनांक 02.04.2025 की तिथि नियत की गयी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से उभयपक्षों को सूचित किया जाता है कि नियत दिनांक 02.04.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समस्त अभिलेख सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन /
विभागीय अपीलीय अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन , उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या - ८७५ . / म0नि0नि0 /2024-25 दिनांक 12 मार्च 2025

प्रतिलिपि : 1- लोक सूचना अधिकारी / उपनिबन्धक मुख्यालय , देहरादून को, अपीलकर्त्ता द्वारा योजित अपील की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली व प्रति उत्तर सहित निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

2- श्री सुमित कैंथोला निवासी 403, पोलो व्यू अपार्टमेन्ट , अपोजिट पोलोग्राउन्ड, राजमहल रोड , बड़ोदरा सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 02.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन।
विभागीय अपीलीय अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून
अपीलीय अधिकारी,
मुख्यालय, देहरादून।